

  
सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 336]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 30, 2015/पौष 9, 1937

No. 336]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 30, 2015/PAUSA 9, 1937

### सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2015

**सं.18-2/2013-डीपी-II.**—जबकि मद्यपान और नशीली दवा पर निर्भर रहने वाले लोगों के पुनर्वास की प्रक्रिया एक अंतर- अनुशासनिक प्रक्रिया है, जिसमें निवारण, शुरुआती पहचान, हस्तक्षेप, शिक्षा, वृत्तिक प्रशिक्षण, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण आदि जैसे विभिन्न पहलु शामिल होते हैं। संसाधनों के अलावा इसमें विकास की प्रक्रिया में शामिल लोगों के समर्पित प्रयासों की आवश्यकता होती है।

2. और जबकि यह मानते हुए कि मद्यव्यसनिता और नशीली दवा का दुरुपयोग एक मानसिक-सामाजिक-चिकित्सीय समस्या है, इसके आदि लोगों का उपचार और उनके पुनर्वास के लिए गैर-सरकारी संगठनों के जरिए समुदाय आधारित हस्तक्षेप को सर्वोत्तम अभिगम माना गया है।

3. अतः अब, नशीले पदार्थ दुरुपयोग की रोकथाम और इसके पीड़ितों के पुनर्वास के क्षेत्र में प्रयासों और उत्कृष्टता प्रोत्साहन को मान्यता देने के लिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग एतद्वारा मद्यपान और नशीले पदार्थ (दवा) दुरुपयोग की रोकथाम के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की निम्नलिखित योजना बनाता है, अर्थात्:-

**(1) संक्षिप्त नाम -** इस योजना को मद्यपान और नशीले पदार्थ (दवा) दुरुपयोग की रोकथाम के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार योजना कहा जाए।

(2) **प्रवर्तन** – यह योजना मद्यपान और नशीले पदार्थ (दवा) दुरुपयोग की रोकथाम के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं और व्यक्तियों के लिए लागू होगी।

#### 4. उद्देश्य और कार्यक्षेत्र

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नशीली दवा की मांग में कमी लाने के लिए नोडल मंत्रालय है। यह नशीली दवा दुरुपयोग के निवारण के सभी पक्षों का समन्वय और निगरानी करता है जिसमें समस्या की गंभीरता का आकलन, निवारक कार्रवाई, व्यसनी लोगों का उपचार और पुनर्वास, सूचना का प्रसार और जन शिक्षा शामिल है। मंत्रालय स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से व्यसनी लोगों की पहचान, उपचार और उनके पुनर्वास के लिए समुदाय आधारित सेवाएं प्रदान करता है। मद्यपान और नशीले पदार्थ (दवा) दुरुपयोग के निवारण और इसके पीड़ितों के पुनर्वास के क्षेत्र में किए गए प्रयासों और उत्कृष्टता प्रोत्साहन को मान्यता देने की दृष्टि से, निम्नलिखित नशीले पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने में लगे व्यक्तियों तथा संस्थाओं को अति प्रभावी अथवा उत्कृष्ट सेवाओं के लिए वर्ष 2016 से शुरू करते हुए दो वर्ष में एक बार पुरस्कार दिए जाएंगे :-

- (क) शराब;
- (ख) स्वापक नशीली दवा;
- (ग) साइकोट्रोपिक पदार्थ;
- (घ) अन्य व्यसनी पदार्थ (तम्बाकू और इसके उत्पादों को छोड़कर) अर्थात् कफ सीरप, करेक्शन फ्लूड आदि।

#### 5. पुरस्कारों की श्रेणियां

(1) वर्ष 2016 से प्रारंभ करते हुए, दो वर्ष में एक बार, 26 जून, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा नशीली दवा दुरुपयोग और इसके गैर-कानूनी व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया है, को निम्नलिखित पुरस्कार (सामान्यतया प्रत्येक श्रेणी में एक) प्रदान किए जाएंगे:-

क्र. सं.	श्रेणी	विवरण	पुरस्कार का स्वरूप
<b>1. संस्थागत श्रेणी</b>			
1.	शराबियों और नशीली दवा का सेवन करने वाले लोगों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए व्यसनी लोगों के लिए सर्वोत्तम एकीकृत पुनर्वास केन्द्र (आईआरसीए)।	शराबियों और नशीली दवा का सेवन करने वाले लोगों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने में उत्कृष्ट कार्य के रिकार्ड वाले आईआरसीए के लिए	(क) प्रशस्ति पत्र (ख) स्मृति चिन्ह (ग) 2 लाख रुपए का नकद पुरस्कार
2.	मद्यपान और नशीले पदार्थ (दवा) दुरुपयोग निवारण के लिए कार्य कर रही सर्वोत्तम पंचायती राज अथवा नगरपालिका निकाय	मद्यपान और नशीले पदार्थ (दवा) दुरुपयोग निवारण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायत अथवा नगरपालिका के लिए	(क) प्रशस्ति पत्र (ख) स्मृति चिन्ह (ग) 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार
3.	मद्यपान और नशीले पदार्थ (दवा) दुरुपयोग निवारण तथा जागरूकता बढ़ाने में उत्कृष्ट कार्य करने वाला सर्वोत्तम शैक्षिक संस्थान	मद्यपान और नशीले पदार्थ (दवा) दुरुपयोग निवारण तथा जागरूकता बढ़ाने में उत्कृष्ट कार्य करने वाला विश्वविद्यालय अथवा कालेज या संस्थान के लिए, जो मैट्रिकोत्तर शिक्षा प्रदान कर रहा हो।	(क) प्रशस्ति पत्र (ख) स्मृति चिन्ह (ग) 4 लाख रुपए का नकद पुरस्कार

क्र. सं.	श्रेणी	विवरण	पुरस्कार का स्वरूप
4.	मद्यपान और नशीले पदार्थ (दवा) दुरुपयोग निवारण के लिए उत्कृष्ट योगदान देने वाला सर्वोत्तम लाभ निरपेक्ष संस्थान, जो उपर्युक्त क्र.सं.1, 2 और 3 के अलावा हो	स्वयं सहायता समूह, गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), न्यास अथवा सोसाइटी, समुदाय आधारित संगठन (सीबीओ) आदि जैसी लाभ निरपेक्ष संस्थाओं के लिए, जिन्होंने मद्यपान और नशीले पदार्थ (दवा) दुरुपयोग निवारण के लिए उत्कृष्ट योगदान दिया हो।	(क) प्रशस्ति पत्र (ख) स्मृति चिन्ह (ग) 4 लाख रुपए का नकद पुरस्कार
5.	सर्वोत्तम अनुसंधान अथवा नवोन्मेष	ऐसी संस्था के लिए जिसने व्यसन से संबंधित मुद्दे पर अनुसंधान किया हो और उपचार तथा निवारक मोड्यूल आदि के संबंध में नई तकनीकी का विकास किया हो और/अथवा व्यसन निवारण के लिए नवोन्मेषी उपाय किए हों और जिसने शुरूआती दौर के व्यसनी लोगों की पहचान के लिए तकनीकों का विकास किया हो।	(क) प्रशस्ति पत्र (ख) स्मृति चिन्ह (ग) 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार
6.	सर्वोत्तम जागरूकता अभियान	किसी शैक्षिक संस्थान के अलावा किसी संस्था अथवा संगठन को पुरस्कृत किए जाने के लिए व्यसन संबंधी मुद्दों पर सतत आधार पर निरंतर और व्यापक कवरेज के माध्यम से उत्कृष्ट जागरूकता अभियान चलाने के लिए	(क) प्रशस्ति पत्र (ख) स्मृति चिन्ह (ग) 4 लाख रुपए का नकद पुरस्कार
<b>II. व्यक्तिगत श्रेणी</b>			
7.	किसी व्यक्ति द्वारा उत्कृष्ट उपलब्धि	मनोचिकित्सक, उपचार और पुनर्वास व्यावसायिक, मनोवैज्ञानिक, नैदानिक मनोवैज्ञानिक, कौशल प्रशिक्षक आदि सहित सामान्य सेवा अथवा विशेषज्ञ मेडिकल चिकित्सक अथवा कार्यकर्ता, छात्र नेता आदि जैसे गैर-व्यावसायिक व्यक्ति के लिए जिसने मद्यपान और नशीले पदार्थ (दवा) दुरुपयोग निवारण तथा व्यसनी लोगों के पुनर्वास के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त की हो।	(क) प्रशस्ति पत्र (ख) स्मृति चिन्ह (ग) 2 लाख रुपए का नकद पुरस्कार

(2) ये पुरस्कार किसी भी श्रेणी में मान्यता के हकदार एक से अधिक व्यक्ति या संस्था को दिए जा सकते हैं, यदि जुरी उनको विचाराधीन अवधि में मान्यता दिए जाने के लिए समान हकदार मानती है।

(3) ये पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिए जाएंगे, बशर्ते कि, तथापि, यदि योजना में विहित तरीके से कोई प्रस्ताव जुरी को प्रस्तुत किए जाने के उपरांत मृत्यु होती है, तो ये पुरस्कार मरणोपरांत दिए जा सकते हैं।

(4) इस उद्देश्य के लिए एक संवीक्षा समिति तथा चयन समिति गठित की जाएगी जो विहित प्राधिकारी द्वारा पुरस्कार के लिए नामित अथवा अनुशंसित संस्थाओं और व्यक्तियों की उपलब्धियों पर विचार करेगी और इस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को अभिचिन्हित करने में, प्रारंभिक महत्व का बिन्दु होगा।

**स्पष्टीकरण :** इस उप पैरा के प्रयोजन के लिए विहित प्राधिकारी का वही अर्थ होगा जो पैरा 8 के उप पैरा (1) में उल्लिखित है।

## 6. पुरस्कार के लिए पात्रता

- (1) ये राष्ट्रीय पुरस्कार धर्म, जाति, लिंग, वर्ग अथवा मत के आधार पर बिना किसी भेदभाव अथवा पक्षपात के सभी भारतीय संस्थाओं, संगठनों और व्यक्तियों के लिए हैं।
- (2) राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु पात्र होने के लिए यह आवश्यक होगा कि नामिति की अनुशंसा लिखित रूप में किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई हो जो नामांकन की सिफारिश करने के लिए प्राधिकृत हो।
- (3) पुरस्कारों के लिए स्वयं के नामांकन पर संवीक्षा समिति और चयन समिति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।
- (4) किसी भी व्यक्ति अथवा संगठन जिसे पुरस्कार दिया गया हो, के बारे में अगले तीन वर्षों के लिए इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में विचार नहीं किया जाएगा।

## 7. नामांकन के लिए पात्रता मानदंड

**क. शराबियों और नशीली दवा का सेवन करने वाले लोगों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए व्यसनी लोगों के लिए सर्वोत्तम एकीकृत पुनर्वास केन्द्र (आईआरसीए) –**

- (1) आईआरसीए के लिए किसी संस्थान के पास शराबियों और नशीली दवा का सेवन करने वाले लोगों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने में उत्कृष्ट कार्य का रिकार्ड होना चाहिए।
- (2) किसी आईआरसीए को पात्र होने के लिए, उसके पास:
  - (क) मद्यपान के रूप में पदार्थ (नशीली) के दुरुपयोग निवारण के क्षेत्र में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव ;
  - (ख) मद्यपान और नशीली दवा पर निर्भर रहने वाले लोगों के लिए व्यापक उपचार सेवाएं दी हों जिसमें अनुवर्ती कार्रवाई और पुनर्वास के लिए अवसर उपलब्ध कराना शामिल है;
  - (ग) मौजूदा सेवाओं में सुधार लाने के लिए नई तकनीकों अपनाई हों अथवा नई कार्यनीति का प्रयोग किया हो;
  - (घ) परामर्श अथवा उपचार या पुनर्वास के क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल की हों;
  - (ङ) पारिवारिक चिकित्सा माड्यूल का विकास किया हो अथवा व्यसनी के परिवारों की समस्याएं दूर करने हेतु सेवाएं दी हों;
  - (च) दुबारा रोग ग्रसित लोगों की देखभाल के लिए माड्यूल का विकास किया हो और व्यक्ति के पूर्ण स्वास्थ्य लाभ के लिए निरंतर सहायता देना जारी रखता हो;
  - (छ) व्यसनी तथा उनके परिवारों के पुनर्वास के लिए वृत्तिक पुनर्वास केन्द्रों को स्थापित किया हो अथवा तंत्र प्रदान किया हो या उनको भेजा हो;
  - (ज) गांवों और छोटे कस्बों में कैंप लगाने सहित पहुंच सेवाएं प्रदान की हों तथा उन्हें प्रदान करना जारी रखा हो;
  - (झ) व्यसन के निवारण तथा उपचारित व्यसनी के पुनर्वास और कलंक तथा भेदभाव से संबंधित मामलों की देखरेख के लिए समुदाय को शामिल किया हो तथा ऐसा करना जारी रखा हो;

- (ज) प्रलेखीकरण तथा आवधिक मूल्यांकन की उत्कृष्ट क्षमता हो और फीडबैक के आधार पर उचित परिवर्तन कर रहा हो;
- (ट) मरीजों के विवरण सहित अनुवर्ती कार्रवाई तथा स्वास्थ्य लाभ स्थिति से संबंधित डाटाबेस तैयार करने में विशेषज्ञता तथा ज्ञान हो; और
- (ठ) विगत पांच वर्षों के लिए निर्बाध सेवा आपूर्ति के साथ-साथ वित्तीय प्रबंधन दोनों में विश्वसनीयता का प्रमाणिक रिकार्ड हो।

**ख. मद्यपान और नशीले पदार्थ (दवा) दुरुपयोग निवारण के लिए कार्य कर रहा श्रेष्ठ पंचायती राज अथवा नगरपालिका निकाय –**

(1) मद्यपान और नशीले पदार्थ (दवा) दुरुपयोग निवारण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले निम्नलिखित ग्रामीण अथवा शहरी स्थानीय निकाय पुरस्कार के लिए पात्र हैं :-

- (क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के खण्ड (घ) के अंतर्गत यथापरिभाषित तीन स्तरीय पंचायती व्यवस्था में से कोई पंचायत अर्थात् ग्राम, मध्य और जिला स्तर;
- (ख) भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 पी के खण्ड (ड) के अंतर्गत यथापरिभाषित कोई नगरपालिका अर्थात् नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम; और
- (ग) छावनी बोर्ड और अन्य सांविधिक शहरी स्थानीय निकाय।

2. किसी पंचायत अथवा नगरपालिका या छावनी बोर्ड और अन्य सांविधिक शहरी स्थानीय निकाय को पात्र होने के लिए आवश्यक है कि वह:

- (क) मद्यपान और नशीले पदार्थ (दवा) दुरुपयोग निवारण के क्षेत्र में कम से कम तीन वर्षों से कार्य कर रही हो। ऐसी संस्थाओं को वरीयता दी जाएगी जिन्होंने इस क्षेत्र में कार्य करना जारी रखा है;
- (ख) शैक्षिक संस्थानों, स्व-सहायता समूहों (महिला) युवा समूहों तथा समुदाय के बीच सतत आधार पर जागरूकता बढ़ाने में शामिल रही हों;
- (ग) मद्य अथवा नशीली दवा मुक्त गांव या कस्बा बनाने की नीति अपनाई हो;
- (घ) नशीली दवा दुरुपयोग निवारण की नीति बनाने तथा इसे अपनाने में समुदाय की सक्रिय सहभागिता रही हो;
- (ङ) कलंक और भेदभाव तथा इससे प्रभावित लोगों के इलाज को बढ़ावा देने से संबंधित मुद्दों को संभाला हो;
- (च) समुदाय में शराब और नशीली दवा की उपलब्धता घटाने के लिए सकारात्मक उपाय किया हो जिसके परिणामस्वरूप कुछ गांव अथवा नगरपालिकाएं आदर्श गांव या कस्बों के रूप में उभरे हों; और
- (छ) उपचार प्रदाताओं के साथ नेटवर्किंग पेश कर रही हो।

**ग. मद्यपान और नशीले पदार्थ (दवा) दुरुपयोग निवारण और जागरूकता सृजन में उत्कृष्ट कार्य करने वाला सर्वोत्तम शैक्षिक संस्थान –**

(1) मैट्रिकोत्तर शिक्षा देने वाले किसी विश्वविद्यालय अथवा कालेज या संस्थान के लिए जिसने जागरूकता बढ़ाने तथा मद्यपान और नशीले पदार्थ (दवा) दुरुपयोग निवारण में उत्कृष्ट योगदान दिया हो, पुरस्कार के लिए पात्र होगा।

(2) किसी शैक्षिक संस्था को पात्र होने के लिए आवश्यक है कि वह :-

- (क) मद्यपान और पदार्थ (नशीली) दुरुपयोग निवारण के क्षेत्र में कम से कम पांच वर्षों से कार्य कर रही हो। (उन शैक्षिक संस्थाओं को वरीयता दी जाएगी जो इस क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रही हैं);
- (ख) कालेजों अथवा विश्वविद्यालयों में छात्रों, युवकों के मध्य शराब तथा नशीली दवा के दुष्प्रभावों के बारे में नियमित तौर पर जागरूकता बढ़ाने में शामिल रहा हो;
- (ग) मद्यपान एवं नशीली दवा की मांग कम करने के लिए नीति बनाने हेतु राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के विभिन्न विभागों के साथ सहयोग कर रही हों;
- (घ) शराब और नशीली दवा से छात्रों और युवकों को दूर रखने के लिए प्रेरित करने में शामिल रही हो;
- (ङ) युवा व्यसनी के परिवार को सहायता दे रही हो;
- (च) समुदाय में शराब और नशीली दवा की उपलब्धता घटाने के लिए सकारात्मक उपाय कर रही हो;
- (छ) गैर-सरकारी संगठनों और सामुदायिक आधारित संगठनों के साथ नेटवर्किंग में सक्रिय रूप से शामिल रही हो तथा निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सुकर बना रही हो;
- (ज) शराब और नशीली दवाओं पर पाठ को अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया हो; और
- (झ) शराब और नशीली दवा मुक्त जीवन शैली को बढ़ावा देने में मीडिया और अन्य कार्यक्रमों के जरिए दृश्यता का निर्माण किया हो।

**घ. मद्यपान और नशीले पदार्थ (दवा) दुरुपयोग निवारण हेतु उत्कृष्ट योगदान देने वाली ऐसी लाभ न कमाने वाली सर्वोत्तम संस्था जिसका उल्लेख पैरा 7 के उप पैरा 'क', 'ख' और 'ग' में न हुआ हो –**

(1) स्व-सहायता समूह, गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), न्यास अथवा सोसाइटी, सामुदायिक आधारित संगठन आदि जैसी लाभ न कमाने वाली संस्था के लिए जिन्होंने मद्यपान और नशीले पदार्थ (दवा) दुरुपयोग निवारण के लिए उत्कृष्ट योगदान दिया हो, पुरस्कार के लिए पात्र होगा।

(2) किसी संस्था को पात्र होने के लिए आवश्यक है कि वह:

- (क) मद्यपान और पदार्थ (नशीली) दुरुपयोग निवारण के क्षेत्र में कम से कम पांच वर्षों से कार्य कर रही हो। (शैक्षिक संस्थाओं को वरीयता दी जाएगी जो इस क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रही हैं);
- (ख) अपने नेटवर्क के माध्यम से युवाओं के मध्य शराब और नशीली दवा के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने में नियमित तौर पर शामिल रही हो;
- (ग) व्यसनी लोगों द्वारा सामना की जा रही कलंक और भेदभाव की समस्या को दूर करने की दृष्टि से कार्य कर रही हो;

- (घ) व्यसनी के उपचार और पुनर्वास के लिए व्यसनी और उसके परिवार को सहायता दे रही हो;
- (ङ) अपने द्वारा संचालित केन्द्रों में उपान्तीय लोगों के लिए उपचार सुविधाएं प्रदान कर रही हो;
- (च) शराब और नशीली दवा सेवन से संबंधित मुद्दों पर प्रवेश कार्यक्रम के भाग के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अपने कर्मचारियों को अवसर प्रदान किया हो; और
- (छ) निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सुकर करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों और सामुदायिक आधारित संगठनों के साथ नेटवर्किंग में सक्रिय रूप से शामिल रही हो।

#### ड. सर्वोत्तम अनुसंधान अथवा नवाचार –

(1) ऐसी संस्था अथवा व्यक्ति के लिए, जिसने व्यसन से संबंधित मुद्दे पर अनुसंधान किया हो तथा उपचार और निवारक माड्यूल आदि पर नई तकनीकें विकसित की हों अथवा व्यसन के निवारण के लिए नवीन उपाय किए हों और शुरूआती दौर में व्यसन की पहचान करने के लिए तकनीकियों का विकास किया हो, पुरस्कार के लिए पात्र होगा।

(2) किसी संस्था अथवा व्यक्ति को पात्र होने के लिए आवश्यक है कि उसने:

- (क) व्यसन निवारण – चिकित्सा, अनुसंधान, मनोवैज्ञानिक उपचार आदि के क्षेत्र में 5 से अधिक वर्षों के लिए उत्कृष्ट योगदान दिया हो [उन व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी जो क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे हैं];
- (ख) चिकित्सकीय उपचार अथवा मनोवैज्ञानिक उपचार, पारिवारिक उपचार, बच्चों का उपचार, अनुवर्ती सेवाएं, अनुरक्षण सेवाएं और दुबारा रोगग्रस्त निवारण सुविधा प्रदान करने के लिए उपचार माड्यूल या तौर-तरीकों का विकास किया हो;
- (ग) गांवों अथवा दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के उपचार के लिए किफायती उपचार माडल का विकास किया हो;
- (घ) निवारक माड्यूल का विकास किया हो जिसे शैक्षिक संस्थाओं अथवा उद्योगों और समुदायों में आसानी से क्रियान्वित किया जा सके;
- (ङ) नशीली दवाओं का सेवन करने वाले लोगों, महिलाओं तथा बच्चों सहित विभिन्न जनसंख्या समूहों के संबंध में साक्ष्य आधारित अनुसंधान किया हो;
- (च) व्यसन के क्षेत्र में अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में मैनुअल और बुकलेट तैयार किए हों; और
- (छ) व्यसन से संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान किया हो जिससे उपचार आपूर्ति के अधिक प्रभावी तरीके को बढ़ावा देने में मदद मिले।

#### च. सर्वोत्तम जागरूकता अभियान –

(1) किसी शैक्षिक संस्था के अलावा किसी संस्था अथवा संगठन को पुरस्कृत करने के लिए व्यसन से संबंधित मुद्दों पर सतत और व्यापक कवरेज के माध्यम से निरंतर आधार पर उत्कृष्ट जागरूकता अभियान चलाने के लिए।

(2) किसी संगठन अथवा संस्था को पात्र होने के लिए आवश्यक है कि वह:

- (क) शराब और नशीली दवा दुरुपयोग को कम करने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों के निर्माण में नवीनता ले आया हो;

- (ख) शराब और नशीली दवा मांग में कमी लाने के लिए किफायती अभियान तरीकों का विकास किया हो जो जनता तक पहुंचे हों और जिसके परिणाम समाज में दृश्य हों;
- (ग) शराब और नशीली दवा मुक्त जीवन शैली को बढ़ावा देने से संबंधित मीडिया और अन्य कार्यक्रमों के जरिए निरंतर और व्यापक दृश्यता का निर्माण किया हो;
- (घ) शराब और नशीली दवा मुक्त कार्यस्थल बनाने के लिए अपने कर्मचारियों के लिए शराब और नशीली दवा के मुद्दों से संबंधित नीति मौजूद हो;
- (ङ) समाज में मनोदशा परिवर्तित करने में मदद करने के लिए मीडिया के माध्यम से शराब और नशीली दवा के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाई हो अथवा जनता को शिक्षित किया हो।

#### छ. किसी व्यावसायिक द्वारा उत्कृष्ट व्यक्तिगत उपलब्धि –

(1) निम्नलिखित व्यक्ति व्यावसायिक अथवा गैर-व्यावसायिक जिन्होंने मद्यपान और नशीले पदार्थ (दवा) दुरुपयोग निवारण तथा व्यसनी लोगों के पुनर्वास के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल की हो, पुरस्कार के लिए पात्र हैं :-

- (क) मनोचिकित्सक सहित सामान्य ड्यूटी अथवा विशेषज्ञ मेडिकल डाक्टर;
- (ख) नैदानिक मनोवैज्ञानिक सहित मनोवैज्ञानिक;
- (ग) उपचार और पुनर्वास व्यावसायिक; और
- (घ) व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षक सहित कौशल प्रशिक्षक, योग चिकित्सक आदि।
- (ङ) पूर्व व्यसनी जिसने कम से कम पांच वर्षों के लिए नशा छोड़ दिया हो।
- (च) कार्यकर्ता, छात्र नेता आदि।

(2) किसी व्यक्ति को पात्र होने के लिए आवश्यक है कि उसने:

- (क) व्यसन निवारण के क्षेत्र में पांच से अधिक वर्षों के लिए उत्कृष्ट योगदान दिया हो [उन व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं];
- (ख) ऐसे लोगों के लिए किफायती उपचार माड्यूल विकसित किया हो, जो गांवों अथवा दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं;
- (ग) IV नशीली दवा का सेवन करने वाले लोगों, बेघर लोगों तथा सड़कों में रहने वाले बच्चों और कैदियों के लिए उपचार का व्यापक माडल तैयार किया हो;
- (घ) ऐसे निवारक माड्यूलों का विकास किया हो, जिन्हें शैक्षिक संस्थाओं/उद्योगों तथा समुदायों में आसानी से क्रियान्वित किया जा सके;
- (ङ) समुदाय में कलंक और भेदभाव संबंधी मामलों को सुलझाने के लिए कार्य किया हो तथा मरीजों के अधिकार के लिए कार्य किया हो; और
- (च) मद्यपान और नशीली दवाओं पर निर्भरता से प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण और संपूर्ण विकास की हिमायत करने में एक उत्कृष्ट व्यक्ति रहा हो तथा मद्यपान और नशीली दवा व्यसन के दुष्प्रभावों के बारे में समुदाय को सुग्राहीकृत किया हो।



## 8. नामांकनों को अग्रेषित करने के लिए अधिकृत एजेंसियां और नामांकन आमंत्रित करने की प्रक्रिया

(1) निम्नलिखित एजेंसियां अथवा व्यक्ति पुरस्कारों के लिए पात्र संस्थाओं या व्यक्तियों को नामांकित और अनुशंसित करने लिए अधिकृत है:

- (क) भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय अथवा विभाग और उनकी स्वायत्त संस्थाएं मंत्रालय के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से;
  - (ख) राज्य सरकारें अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन संबंधित मुख्य मंत्री या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में उप राज्यपालों के अनुमोदन से;
  - (ग) नशा-मुक्ति के क्षेत्र में कार्यरत क्षेत्रीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र अपने स्वयं के क्षेत्राधिकार के भीतर;
  - (घ) नशा-मुक्ति और पुनर्वास पर राष्ट्रीय परामर्शदात्री समिति (एनसीसीडीआर) के सदस्य;
  - (ङ) प्रख्यात शीर्षस्थ चैम्बर्स जैसे फिक्की, सीआईआई, एसोचेम, आदि;
  - (च) पूर्व पुरस्कार प्राप्तकर्ता;
  - (छ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई), नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस), विश्वविद्यालय, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस), नवोदय विद्यालय समित (एनवीएस), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), आदि जैसे संगठन; और
  - (ज) उस जिले का जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट जहां संस्था या व्यक्ति विशेष कार्यरत है;
  - (झ) कमीशनरी आयुक्त जहां संस्था या व्यक्ति कार्यरत है।
- (2) केवल ऐसे नामांकनों अथवा अनुशंसाओं पर विचार किया जाएगा जो समुचित औचित्यसम्मतता के साथ इस प्रयोजनार्थ निर्धारित अधिकृत एजेंसियों या व्यक्तियों से प्राप्त होंगे।
- (3) अपेक्षित सूचना **अनुबंध-I** (व्यक्ति-विशेष के लिए) पर और **अनुबंध-II** (संस्थाओं के लिए) पर दिए गए विहित प्रपत्र में प्राप्त की जाएगी।

## 9. प्रत्येक वर्ष पालन किए जाने वाले कार्यकलापों का कैलेंडर

पुरस्कारों के संबंध में प्रत्येक वर्ष पालन किए जाने वाले कार्यकलापों का कैलेंडर **अनुबंध-III** पर दिया गया है।

## 10. प्रस्तावों का मूल्यांकन

(1) कोई भी कार्य, उपलब्धि या योगदान तब तक पुरस्कार का हकदार नहीं होगा जब तक कि वह चयनित क्षेत्रों में संवीक्षा समिति और चयन समिति की राय में नशीली दवा अथवा शराब की लत के संबंध में जानकारी देने को बहावा देने में या उसमें योगदान देने में असाधारण हो या नशीली दवा या शराब के व्यसनी के द्वारा असाधारण वैयक्तिक उपलब्धियों के लिए हो।

(2) नामांकनों पर विचार करते समय व्यापक पैरामीटरों, जैसाकि धारा 6, 7 और 8 में दिया गया है, को ध्यान में रखा जाएगा।

### 11. प्रस्तावों की संवीक्षा

(1) राष्ट्रीय पुरस्कारों की भिन्न-भिन्न श्रेणियों में पुरस्कारों के लिए नामितियों की लघुकृत सूची के लिए **संवीक्षा समिति**, गठित की जाएगी होनी चाहिए ताकि पुरस्कार के स्वरूप और संगत योग्यता के संदर्भ में पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का उद्देश्यपरक चयन सुनिश्चित किया जा सके।

(2) संवीक्षा समिति की संरचना निम्नलिखित के अनुसार होगी नामतः:

1.	विशेष सचिव/अपर सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	पदेन अध्यक्ष
2.	संयुक्त सचिव (समाज सुरक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	पदेन उपाध्यक्ष
3.	मद्यपान और नशीले पदार्थ (दवा) दुरुपयोग निवारण के क्षेत्र से जुड़े ऐसे ख्यातिप्राप्त प्रोफेशनल (दो), अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाएंगे जो मंत्रालय के किसी भी कार्यक्रम से न जुड़े हों	सदस्य
4.	मद्यपान और नशीले पदार्थ (दवा) दुरुपयोग निवारण के क्षेत्र के ख्यातिप्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता (दो) अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाएंगे	सदस्य
5.	निम्नलिखित मंत्रालयों में से प्रत्येक से एक प्रतिनिधि (निदेशक/उप सचिव के पद से कम नहीं): (i) पंचायती राज; (ii) शहरी विकास; (iii) युवा मामले एवं खेल; तथा (iv) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	पदेन-सदस्य
6.	नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के प्रतिनिधि (निदेशक के पद से कम नहीं)	पदेन-सदस्य
7.	नेशनल ड्रग डिपेंडेंट ट्रीटमेंट सेंटर (एनडीडीटीसी) के अध्यक्ष के नामिती	पदेन-सदस्य
8.	कोई एक आरआरटीसी के मुख्य पदाधिकारी को अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा	सदस्य
9.	निदेशक, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान	पदेन-सदस्य
10.	निदेशक अथवा उप सचिव (डीपी), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	पदेन- संयोजक

(3) संवीक्षा समिति के गैर-सरकारी सदस्य भारत सरकार में यथा-अनुप्रयोज्य वित्तीय नियमों एवं कार्यविधियों के अनुसार टीए/डीए के हकदार होंगे।

### 12. राष्ट्रीय चयन समिति द्वारा पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन

(1) **राष्ट्रीय चयन समिति** संवीक्षा समिति की सिफारिशों पर विचार करेगी और पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के नामों का, पुरस्कारों की प्रत्येक श्रेणी के लिए एक अनुमोदन करेगी।

(2) राष्ट्रीय चयन समिति का गठन निम्नलिखित के व्यक्तियों के साथ किया जाएगा, नामतः:

1.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री	पदेन-अध्यक्ष
2.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री	पदेन-उपाध्यक्ष
3.	सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	पदेन-सदस्य
4.	विशेष सचिव अथवा अपर सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	पदेन-सदस्य

5.	नेशनल ड्रग डिपेंडेंट ट्रीटमेंट सेंटर (एनडीडीटीसी) के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष	पदेन-सदस्य
6.	मद्यपान और नशीले पदार्थ (दवा) दुरुपयोग निवारण के क्षेत्र के ख्यातिप्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता (तीन) अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाएंगे	सदस्य
7.	दो राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रधान सचिव अथवा सचिव अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाएंगे	पदेन-सदस्य
8.	निम्नलिखित में से प्रत्येक मंत्रालय से एक प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव के पद से कम नहीं): (i) युवा मामले एवं खेल; (ii) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण; (iii) मानव संसाधन विकास; (iv) सूचना एवं प्रसारण; तथा (v) महिला एवं बाल विकास	पदेन-सदस्य
9.	निदेशक, समाज रक्षा संस्थान	पदेन-सदस्य
10.	संयुक्त सचिव (समाज रक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	पदेन-संयोजक

(3) चयन समिति के गैर-सरकारी सदस्य भारत सरकार में यथा-अनुप्रयोज्य वित्तीय नियमों एवं कार्यविधियों के अनुसार टीए/डीए के हकदार होंगे।

(4) राष्ट्रीय चयन समिति के निर्णय बहुमत के मतदान द्वारा लिए जाएंगे और दोनों पक्षों के मत समान रहने की दशा में बैठक-विशेष की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा।

(5) राष्ट्रीय चयन समिति के निर्णय अंतिम होंगे।

### 13. पुरस्कार वितरण

(1) पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को वर्ष की 26 जून को नई दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले समारोह में पुरस्कार दिए जाएंगे, जिसे "नशीली दवा दुरुपयोग एवं अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस" के रूप में घोषित किया गया है।

(2) पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति अथवा भारत के प्रधान मंत्री द्वारा दिए जाएंगे।

(3) प्रत्येक पुरस्कार प्राप्तकर्ता के लिए एक सहचर सहित पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के लिए भोजन एवं आवास खर्च का वहन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा।

(4) केन्द्र सरकार द्वारा आने और जाने के यात्रा खर्च तथा पुरस्कार समारोह की तिथि के एक दिन पहले और बाद तक (जो आगमन और प्रस्थान की वास्तविक तिथियों पर निर्भर करेगा) के लिए आवास की व्यवस्था की जाएगी अथवा खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(5) पुरस्कारों की घोषणा से पहले, भावी पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं या संस्थानों की सहमति समुचित रूप से सुनिश्चित की जाएगी।

गजाला मीनाई, संयुक्त सचिव



8. क्या व्यक्ति को पूर्व में किसी अन्य एजेंसी द्वारा सम्मान दिया गया है? यदि हां, तो एजेंसी अथवा संगठन जिसने पुरस्कार अथवा मान्यता प्रदान की है, वर्ष और कार्यक्रम अथवा कार्यकलाप या उपलब्धि जिसके लिए पुरस्कार दिया गया, से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें।

9. "उत्कृष्ट व्यक्तिगत उपलब्धि पुरस्कार" के लिए व्यक्ति को नामित करने वाले व्यक्ति का नाम, पदनाम, संगठन और संपर्क सूत्र तथा कार्यालय मुहर का ब्यौरा:

हस्ताक्षर :  
नाम :  
पदनाम :  
संगठन :  
संपर्क विवरण :  
स्थान :  
दिनांक :

### **अनुबंध-II**

मद्य और नशीली दवा सेवन से संबंधित मुद्दों पर कार्य करने वाले संगठनों के मध्य "अग्रणी संगठन" के रूप में उपाधि प्रदान किए जाने के लिए आवेदन

#### **नामांकन का वर्ष:**

1. संगठन का नाम	
2. संगठन की श्रेणी अर्थात आईआरसीए अथवा आरआरटीसी या एनजीओ अथवा पीएसयू या निजी क्षेत्र कंपनी	
3. स्वैच्छिक अथवा लाभ निरपेक्ष संगठन अथवा सरकारी क्षेत्र की कंपनी या निजी क्षेत्र कंपनी के रूप में पंजीकरण का वर्ष (प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)	
4. पत्राचार के लिए संगठन के पदाधिकारी का नाम और पदनाम	
5. पत्राचार का पता	
6. अन्य संपर्क विवरण क. एरिया कोड सहित संगठन का टेलीफोन नम्बर	

ख. व्यक्तिगत मोबाइल नम्बर ग. फैक्स नम्बर कोड सहित घ. ई-मेल				
7. संगठन की उत्पत्ति, विकास तथा मौजूदा कार्यकलापों का 300 शब्दों में संक्षिप्त विवरण जिसमें उन कार्यक्रमों का ब्यौरा हो जिसे संगठन 5 या उससे अधिक वर्षों से लगातार कर रहा हो।				
8. इस कारण को प्रकाश में लाने के लिए संगठन की ताकत का संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत करे कि संगठन को राष्ट्रीय स्तर के उपलब्धि पुरस्कार के लिए क्यों चुना जाए (शब्दों की संख्या 150 से अधिक नहीं)				
9. मद्य और नशीली दवा के सेवन के क्ष की अधिकतम 10 परियोजनाओं की सूची दे जिन्हें संगठन ने अन्य एजेंसियों की वित्तीय सहायता से विगत 10 वर्षों में निष्पादित किया गया है।				
वर्ष जब परियोजना क्रियान्वित हुई	फंड देने वाली एजेंसी	परियोजना का मुख्य उद्देश्य	लक्षित समूह	क्या परियोजना का मूल्यांकन किसी बाहरी एजेंसी द्वारा किया गया? हां अथवा नहीं का उल्लेख करें। यदि

					हां, तो एजेंसी का नाम सूचीबद्ध करें

10. क्या व्यक्ति को पूर्व में किसी अन्य एजेंसी द्वारा सम्मान दिया गया है? यदि हां, तो एजेंसी अथवा संगठन जिसने पुरस्कार अथवा मान्यता प्रदान की है, वर्ष और कार्यक्रम या कार्यकलाप अथवा उपलब्धि जिसके लिए पुरस्कार दिया गया, से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें।

11. कृपया निम्न संलग्न करें:

- विगत पांच वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट
- विगत तीन वर्षों का तुलन पत्र
- अन्य कोई रिपोर्ट अथवा दस्तावेज जो संगठन की उपलब्धियों पर विशेष बल देता हो, कृपया सूचीबद्ध करें:

यदि कोई व्यक्ति संस्थाओं अथवा संगठनों की अनुशंसा करता हो तो उपर्युक्त दस्तावेज संलग्न करना जरूरी नहीं है। तथापि, यदि दस्तावेज आसानी से उपलब्ध हो, संलग्न किए जा सकते हैं।

12. "उत्कृष्ट व्यक्तिगत उपलब्धि पुरस्कार" के लिए संस्था को नामित करने वाले व्यक्ति का नाम, पदनाम, संगठन और संपर्क सूत्र तथा कार्यालय मुहर का ब्यौरा:

हस्ताक्षर :  
नाम :  
पदनाम :  
संगठन :  
संपर्क विवरण :  
स्थान :  
दिनांक :

**अनुबंध-III****अनुपालनार्थ कार्यकलापों की सूची**

क्रम सं.	कार्यकलाप	दिनांक तथा माह
1.	मंत्रालय द्वारा नामांकन आमंत्रित करने के लिए पत्र जारी करना	1 जुलाई
2.	नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि	15 अक्टूबर
3.	संवीक्षा समिति द्वारा नामांकनों की चयनित सूची तैयार करना	15 नवम्बर
4.	जुरी द्वारा अंतिम चयन	15 जनवरी
5.	मंत्री महोदय का अनुमोदन	15 फरवरी
6.	गृह मंत्रालय और राज्य सरकार की अनुमति	15 अप्रैल
7.	पुरस्कारों की घोषणा	31 मई
8.	पुरस्कार वितरण	26 जून

**MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT****(Department of Social Justice and Empowerment)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd December, 2015

**No. 18-2/2013/DP-II.**—Whereas the process of rehabilitation of alcohol and drug dependents is an inter-disciplinary process covering various aspects namely, prevention, early detection, intervention, education, vocational training, rehabilitation and social integration etc. Apart from resources, it requires dedicated efforts of humans involved in the process of development.

2. And, whereas recognizing that Alcoholism and Drug Abuse is a psycho-social-medical problem, community based intervention through Non-Government Organization has been considered as the best approach for treatment and rehabilitation of the addicts.

3. Now, therefore, in order to recognize the efforts and encourage excellence in the field of prevention of substance abuse and rehabilitation of its victims, the Department of Social Justice and Empowerment hereby makes the following Scheme of National Awards for Outstanding Services in the field of Prevention of Alcoholism and Substance (Drug) Abuse, namely:-

(1) **Short Title** - This Scheme may be called the Scheme of National Awards for Outstanding Services in the field of Prevention of Alcoholism and Substance (Drug) Abuse.

(2) **Application** - This Scheme shall be applicable to Institutions and individuals working in the field of Prevention of Alcoholism and Substance (Drug) Abuse.

**4. OBJECTIVE AND SCOPE -**

The Ministry of Social Justice and Empowerment is the nodal Ministry for drug demand reduction. It coordinates and monitors all aspects of drug abuse prevention which include assessment of the extent of the problem, preventive action, treatment and rehabilitation of addicts, dissemination of information and public education. The Ministry provides community-based services for the identification, treatment and rehabilitation of addicts through voluntary organizations. In order to recognize the efforts, and, encourage excellence in the Prevention of Alcoholism and Substance (Drugs) Abuse and rehabilitation of its victims, awards will be presented, once in two years starting from the year 2016, for the most effective or outstanding services as individuals as well as institutions in the prevention of abuse of:-



- (a) Alcohol;  
 (b) Narcotic Drugs;  
 (c) Psychotropic Substances;  
 (d) Other Addictive Substances (Except tobacco and its products) e.g. cough syrups, correction fluid, etc.

### 5. CATEGORIES OF AWARDS -

(1) The following awards (generally one in each category) will be presented, once in two years starting from the year 2016, on the 26th June, which has been declared by the United Nations, as the International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking namely:

Sl.No.	Category	Description	Nature of Award
<b>I. Institutional Category</b>			
1.	Best Integrated Rehabilitation Centre for Addicts (IRCA) for providing rehabilitation services to alcoholics and drug users.	For an IRCA with a record of outstanding work in providing rehabilitation services to alcoholics and drug users.	(a) Citation (b) Memento (c) Cash award of two lakh rupees.
2.	Best Panchayati Raj or Municipal Body working for prevention of alcoholism and substance (drug) abuse.	For a Panchayat or Municipality, which has done outstanding work for Prevention of Alcoholism and Substance (Drug) Abuse.	(a) Citation (b) Memento (c) Cash award of five lakh rupees.
3.	Best Educational Institution doing outstanding work in awareness generation and prevention of alcoholism and substance (drug) abuse.	For a University or College or Institution imparting post-matric education, which has done outstanding work in awareness generation and Prevention of Alcoholism and Substance (Drug) Abuse.	(a) Citation (b) Memento (c) Cash award of four lakh rupees.
4.	Best Non Profit Institution, other than S.No. 1,2 and 3, with outstanding contribution in Prevention of Alcoholism and Substance (Drugs) Abuse	For a Non-Profit institution such as self help group, Non Governmental Organization (NGO), Trust or Society, Community Based Organization (CBO), etc. which has made outstanding contribution to prevention of Alcoholism and Substance (Drug) Abuse.	(a) Citation (b) Memento (c) Cash award of four lakh rupees.
5.	Best Research or Innovation	For an Institution or an individual which has conducted research on issues related to addiction and has developed new techniques on treatment and preventive modules, etc. and/or undertaken innovative measures for prevention of addiction and evolved techniques to identify early phase addicts.	(a) Citation (b) Memento (c) Cash award of Rs five lakh
6.	Best Awareness Campaign	For outstanding awareness campaign through consistent and comprehensive coverage on addiction related issues on sustained basis, to be awarded to any institution or organisation other than an educational institution.	(a) Citation (b) Memento (c) Cash award of four lakh rupees.

<b>II. Individual Category</b>			
7.	Outstanding achievement by an individual	For an individual either professional such as General Duty or specialist medical doctor including psychiatrist, treatment and rehabilitation professional, psychologist, clinical psychologist, skill trainer, etc. or a non professional such as activist, student leader etc who has made outstanding achievement in the field of prevention of alcoholism and substance (drug) abuse and rehabilitation of addicts	(a) Citation (b) Memento (c) Cash award of two lakh rupees.

(2) The Awards may be presented to more than one individual or institution in any category, deserving of recognition, if the Jury considers them to be equally deserving of recognition in the period under consideration.

(3) The Awards will not be presented posthumously, provided that if the death occurs subsequent to a proposal having been submitted to the Jury in the manner stipulated in this Scheme, the Award may be presented posthumously.

(4) A Screening Committee and Selection Committee shall be constituted for the purpose which shall consider the achievements of the Institutions and the Individuals nominated or recommended for the Awards by the prescribed authority and the outstanding contribution in the field shall be the primary consideration in identifying the recipients of Awards.

**Explanation:** For the purpose of this sub-paragraph, the prescribed authority means the agency or person mentioned in sub paragraph (1) of the paragraph 8.

#### **6. Eligibility for the Awards -**

(1) The National Awards are open to all Indian Institutions, Organizations and Individuals without any distinction or discrimination on grounds of religion, race, sex, caste or creed.

(2) To be eligible for the National Awards, it would be necessary that the nominee is recommended in writing by someone authorized to recommend the nominations.

(3) The Self nominations for the Awards shall not be considered by the Screening Committee and the Selection Committee.

(4) No individual or organization who has been awarded should be considered for the National Award under this Scheme for next three awards.

#### **7. Eligibility Criteria for Nominations -**

##### **A. Best Integrated Rehabilitation Centre for Addicts (IRCA) for providing rehabilitation services to alcoholics and drug users –**

(1) For an IRCA the institute shall have a record of outstanding work in providing rehabilitation services to alcoholics and drug users.

(2) An IRCA, to be eligible shall fulfil the following requirements namely:-

(a) a minimum of five years experience in the field of prevention of Alcoholism as substance (drug) abuse;

(b) delivered comprehensive treatment service for people with alcoholism and drug dependence which includes follow-up and providing opportunities for rehabilitation;

(c) adapted new techniques or undertaken new strategies for improving existing services;

(d) made outstanding achievements in the areas of counselling or treatment or rehabilitation;

(e) developed a family therapy module or offered services to cater to the problems of families of addicts;

- (f) developed a module to deal with relapse and continues to provide continuous support towards whole person recovery;
- (g) established or networked or provided referral to vocational rehabilitation centres towards rehabilitation of addicts and their families;
- (h) provided and continues to provide outreach services including conducting camps in villages and in small towns;
- (i) made and continues to make use of involvement of the community towards prevention of addiction, rehabilitation of treated addicts and dealing with issues related to stigma and discrimination;
- (j) outstanding ability towards documentation and periodical evaluation and is making appropriate changes based on the feedback;
- (k) expertise and knowledge in creating database related to details of patients along with follow-up and recovery status; and
- (l) a proven record of credibility both in delivery of services as well as in financial management uninterruptedly for the previous five years.

**B. Best Panchayati Raj or Municipal Body working for prevention of alcoholism and substance (drug) abuse -**

(1) The following rural or urban local body which has done outstanding work for prevention of alcoholism and substance (drug) abuse are eligible for the awards -

- (a) A Panchayat at any of the three tiers as defined under clause(d) of article 243 of the Constitution of India, namely, Village, Intermediate and District level;
- (b) A Municipality as defined under clause(e) of articles 243P of the Constitution of India, namely, Nagar Panchayat, Municipal Council, Municipal Corporation; and
- (c) Cantonment Board and Other Statutory Urban Local Body.

(2) A Panchayat or Municipality or Cantonment Board and Other Statutory Urban Local Body, to be eligible, should have:

- (a) been working in the field of prevention of alcoholism and substance (drug) abuse for at least three years and preference shall be given to those institutions who are continuing in the field;
- (b) been involved in creating awareness among educational institutions, self help groups (women), youth groups and community on a continuous basis;
- (c) adopted a policy of creating alcohol or drug free villages or town;
- (d) had active involvement of the community in creating and adopting policy of prevention of drug abuse;
- (e) dealt with issues related to stigma and discrimination and promoting treatment for those affected;
- (f) taken pro active measures towards reducing the availability of alcohol and drugs in the community, as a result of which some villages or municipalities have emerging as model villages or towns; and
- (g) been offering or networking with treatment providers

**C. Best Educational Institution doing outstanding work in awareness generation and prevention of alcoholism and substance (drug) abuse -**

(1) For a University or College or Institution imparting post-matric education which has made outstanding contribution in awareness generation and prevention of alcoholism and substance (drug) abuse is eligible for award.

(2) An Educational Institution, to be eligible, should have:

- (a) been working in the field of prevention of Alcoholism and Substance (Drug) abuse and for at least five years [preference shall be given to those institutions who are continuing in the field];
- (b) been involved in creating awareness about the ill-effects of alcohol and drugs amongst students, youth in colleges or universities on a regular basis;

- (c) been collaborating with various departments of State Government or UT Administration towards developing a policy for alcohol and drug demand reduction;
- (d) involved in motivating students and youth to stay away from alcohol and drugs;
- (e) been supporting family of youth addicts;
- (f) been taking pro active measures towards reducing the availability of alcohol and drugs in the community;
- (g) been actively involved in networking with Non-Governmental organisations, and Community based organisations and facilitating implementation of prevention programmes;
- (h) adopted in its curriculum lessons on alcohol and drugs; and
- (i) created visibility through media and other programmes in promoting alcohol and drug free life style.

**D. Best Non-Profit Institution, other than those mentioned in subparagraph A,B and C of paragraph 7, with outstanding contribution to prevention of alcoholism and substance (drug) abuse –**

1. For a Non-Profit Institution such as self help group, Non-Governmental Organisations(NGOs), trust or society, Community based Organisations, etc. which has made outstanding contribution to Prevention of Alcoholism and Substance (Drug) Abuse is eligible for award.

2. An Institution, to be eligible, should have:

- (a) been working in the field of prevention of Alcoholism and Substance (Drug) abuse for at least five years [preference shall be given to those institutions who are continuing in the field];
- (b) been involved in creating awareness about the ill-effects of alcohol and drugs amongst youth through its network on a regular basis;
- (c) been working with addicts with a view to address the stigma and discrimination faced by them;
- (d) been supporting the addicts and their family for treatment and rehabilitation of the addicts;
- (e) been providing treatment facilities for marginalized people in the centres being run by it;
- (f) provided opportunities for its employees to undergo training on issues related to alcohol and drug use as part of induction programme; and
- (g) been actively involved in networking with Non-Governmental Organisations and Community Based Organisations for facilitating implementation of prevention programmes.

**E. Best Research or Innovation –**

(1) For an Institution or an individual which has conducted research on issues related to addiction and has developed new techniques on treatment and preventive modules, etc. or undertaken innovative measures for prevention of addiction and evolved techniques to identify addiction in early phase is eligible for award.

(2) An Institution or an individual to be eligible, should have:

- (a) made outstanding contribution for more than five years in the field of prevention of addiction – medical, research, psychological therapy etc. [Preference shall be given to those individuals who are continuing in the field];
- (b) developed treatment modules or methodologies to provide medical treatment or psychological therapy, family therapy, therapy for children, follow-up services, after care services and relapse prevention;
- (c) developed cost effective model of treatment to provide for those who live in villages or in remote areas;
- (d) developed prevention modules which can be readily implemented in educational institutions or industries and communities;
- (e) carried out evidence based research on various population groups including drug users, women and children;
- (f) developed manuals and booklets in the area of addiction in English and in other languages; and
- (g) conducted research on issues related to addiction which help in promoting more effective method of treatment delivery

**F. Best Awareness Campaign –**

(1) For outstanding awareness campaign through consistent and comprehensive coverage on addiction related issues on a sustained basis the institution or organization other than an educational institution which has made outstanding achievement is eligible for award.

(2) An Organisation or institution, to be eligible, should have:

- (a) been innovative in creating awareness programmes for reduction of alcohol and drug abuse;
- (b) evolved cost-effective campaign methods for alcohol and drug demand reduction reaching masses and results of which are visible in the society;
- (c) been consistently and comprehensively created visibility through media and other programmes on promoting alcohol and drug free life style.
- (d) existing policy related to alcohol and drug issues for its employees with a view to keep alcohol and drug free workplace; and
- (e) created awareness or educated the public about the adverse impact of alcohol and drugs through the media to help change the mindset in the society

**G. Outstanding achievement by an individual –**

(1) For the following individual either professional or non-professional who has made outstanding achievement in the field of prevention of alcoholism and substance (drug) abuse and rehabilitation of addicts is eligible for award-

- (a) General Duty or Specialist medical doctor including psychiatrist;
- (b) Psychologist including Clinical psychologist;
- (c) Treatment and Rehabilitation professional; and
- (d) Skill trainer, including vocational skill trainer, Yoga Therapist, etc.
- (g) former addict, who has remained abstinent for at least five years
- (h) activist, student leader etc.

(2) An individual, to be eligible, should have:-

- (a) made outstanding contribution for more than five years in the field of prevention of addiction [Preference shall be given to those individuals who are continuing in the field];
- (b) developed cost effective module of treatment to provide for those who live in villages or in remote areas;
- (c) developed a comprehensive model of treatment for IV drug users, homeless people and children who live on streets and for prison population;
- (d) developed prevention modules which can be readily implemented in educational institutions/industries and communities;
- (e) worked towards dealing with stigma and discrimination in the community and worked for the rights of the patients; and
- (f) been an outstanding person championing the welfare and overall development of persons affected by alcoholism and drug dependence and sensitizing the community about the ill effects of alcoholism and drug addiction.

**8. Agencies Authorized to Forward Nominations and Procedure to invite****Nominations –**

(1) The following agencies or persons are authorized to nominate and recommend eligible institutions or individuals for the Awards:

- (a) Concerned Ministries or Departments of the Government of India and their autonomous institutions with the approval of the Minister-in-charge of the Ministry.

(b) State Governments or Union Territory Administrations with the approval of the concerned Chief Minister or Lt. Governors in Union Territory Administrations;

(c) Regional Resource and Training Centres working in the field of drug de-addiction within their own jurisdiction;

(d) Members of the National Consultative Committee on De-addiction and Rehabilitation (NCCDR);

(e) Renowned Apex Chambers like Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, Confederation of Indian Industry, The Associated Chambers of Commerce and Industry of India, etc;

(f) Past Awardees.

(g) Organizations like University Grand Commission(UGC), All India Council for Technical Education(AICTE), Medical Council of India(MCI), Nehru Yuva Kendra Sangathan(NYKS), Universities, Central Board of Secondary Education(CBSE), National Council of Educational Research and Training(NCERT), Kendriya Vidyalaya Sangathan(KVS), Navodaya Vidyalaya Samiti(NVS), Council of Scientific and Industrial Research(CSIR), etc; and

(h) Collector of the District/District Magistrate in which the Institution or Individual is working.

(e) Commissioner of Commissionerate in which the Institution or Individual is working.

(2) Only nominations or recommendations emanating from Authorised Agencies or persons, designated for the purpose, supported by adequate justification, shall be considered.

(3) The requisite information shall be obtained in the prescribed form at **Annex I** (for Individuals) and **Annex II** (for Institutions).

#### **9. Calendar of Activities to be followed –**

The calendar of activities to be followed with regard to the awards is given at **Annex-III**.

#### **10. Evaluation of Proposals -**

(1) No work, achievement or contribution shall merit an Award unless in the opinion of the Screening Committee and Selection Committee it is outstanding in promoting or contributing to the cause of drug or alcohol dependent or is for outstanding personal achievements by drug or alcohol dependent, in the selected fields.

(2) While considering the nominations the broad parameters as detailed in paragraph 6, 7 and 8 shall be kept in view.

#### **11. Screening of Proposals -**

(1) There shall be a Screening Committee, which shall be constituted for short listing of nominees for awards in different categories of National Awards to ensure objective selection of the awardees in the context of nature of the award and relative merit.

(2) The composition of the Screening Committee shall consist of the following persons namely:-

1.	Special Secretary or Additional Secretary, Ministry of Social Justice and Empowerment	Ex-officio Chairperson
2.	Joint Secretary (Social Defence), Ministry of Social Justice and Empowerment	Ex-officio Vice-Chairperson
3.	Eminent Professionals (two) engaged in the field of Alcoholism and Drug Abuse Prevention but not connected with any programme of the Ministry, to be nominated by the Chairperson	Member
4.	Eminent Social Workers (two) in the field of Prevention of Alcoholism and Drug Abuse, to be nominated by the Chairperson	Member
5.	A Representative each from the following Ministries (Not below the rank of Director or Deputy Secretary): (i) Panchayati Raj;	Ex-officio Member

	(ii) Urban Development; (iii) Youth Affairs and Sports; and (iv) Health and Family Welfare	
6.	Representative from Narcotics Control Bureau (NCB) (Not below the rank of Director)	Ex-officio Member
7.	Nominee of the Head of the National Drug Dependent Treatment Centre (NDDTC)	Ex-officio Member
8.	Chief Functionary of one of the RRTC to be nominated by the Chairperson	Member
9.	Director of National Institute of Social Defence	Ex-officio Member
10.	Director or Deputy Secretary (DP), Ministry of Social Justice and Empowerment	Ex-officio Convener

3. The non-official members of the Screening Committee shall be entitled to TA/DA in accordance with the Financial Rules and procedures as applicable in Government of India.

### 12. Selection of Awardees by the National Selection Committee -

(1) A National Selection Committee shall consider the recommendations of the Screening Committee and would approve the names of awardees, one for each category of the awards.

(2) The Composition of the National Selection Committee shall consist of the following persons namely

1.	Union Minister of Social Justice & Empowerment	Ex-officio Chairperson
2.	Minister of State of Social Justice & Empowerment	Ex-officio Vice-Chairperson
3.	Secretary, Ministry of Social Justice and Empowerment	Ex-officio Member
4.	Special Secretary or Additional Secretary, Ministry of Social Justice and Empowerment	Ex-officio Member
5.	Professor and Head of National Drug Dependent Treatment Centre (NDDTC)	Ex-officio Member
6.	Eminent Social Workers (three) in the field of Prevention of Alcoholism and Drug Abuse, to be nominated by the Chairperson	Member
7.	Principal Secretary or Secretary of two States or Union Territory's, to be nominated by the Chairperson	Ex-officio Members
8.	A Representative each from the following Ministries (Not below the rank of Joint Secretary) (i) Youth Affairs and Sports; (ii) Health and Family Welfare; (iii) Human Resources Development; (iv) Information and Broadcasting; and (v) Women and Child Development	Ex-officio Members
9.	Director of National Institute of Social Defence	Ex-officio Member
10.	Joint Secretary (Social Defence), Ministry for Social Justice and Empowerment	Ex-officio Convener

3. The non-official members of the Selection Committee shall be entitled to TA/DA in accordance with the Financial Rules and procedures as applicable in Government of India.

4. The decisions of the National Selection Committee shall be taken by a majority vote and in the event of the votes on both sides being equal, the Chairperson presiding over a particular meeting shall have a casting vote.

5. The decisions of the National Selection Committee shall be final.

### 13. Presentation of Award -

(1) The awards shall be conferred on the awardees in a function to be held in New Delhi on the 26th June of the year, which has been declared as the “International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking”

(2) The Awards shall be presented by the President of India or the Prime Minister of India.

(3) The boarding and lodging expenses of the awardees including one companion for each awardee shall be borne by the Central Government.

(4) To and fro travelling expenses and accommodation for up to one day prior and after the date of Award ceremony (depending upon the actual arrival and departure dates) shall be arranged or expenditure reimbursed by the Central Government.

(5) Before the announcement of the Awards, the concurrence of the prospective awardees or institutions shall be suitably ascertained.

GHAZALA MEENAI, Jt. Secy.

### Annexure-I

#### Application for conferring award for ‘Outstanding individual Achievement’ for work on Alcohol and Drug Use related issues

##### Year of nomination

1.Name of the individual			
2. Address for communication			
3. Other contact details :			
(a) Organization telephone number with area code			
(b) Personal mobile number			
(c) FAX number with code			
(d) email			
4. Educational Qualifications or Credentials			
5. List posts or positions held in relation to the field of alcohol or drug use chronologically from the time of starting work in the field to the present. Please list only those related to alcohol or drug related activities – prevention, treatment, research etc.			
Years	Position	Organization*	Major activities undertaken
Indicate the nature of the posts or positions held- government, non government, voluntary, corporate or private firm and also if it was honorary or paid position.			
6. Briefly describe details of work done in terms of awareness generation, prevention, treatment, training, publication, research or advocacy and area of work including years of work, the district or State where worked, in not more than 200 words			
7. Describe briefly any special contributions made by the individual which have not been covered in questions 5 and 6 of this application or specific issues for which the person should be considered for this award in not more than 200 words.			
8. Has the individual been felicitated by any other agency in the past? If so, provide details related to the agency or organization which conferred the award or recognition, year and the programme or activities or achievement for which the award was given.			



9. Details of the person nominating the individual for the 'Outstanding Individual Achievement Award' - name, designation, Organization and contact details and office seal  
Signature:

Name:

Designation:

Organization:

Contact details:

Place:

Date:

**Annexure-II****Application for conferring title as 'Organization of Excellence' among those working on Alcohol and Drug Use related issues**

Year of nomination:

1. Name of the organization																										
2. Category of Organisation viz. IRCA or RRTC or NGO or PSU or private sector company.																										
3. Year of registration as a voluntary or nonprofit organization or public sector company or private sector company (enclose copy of certificate)																										
4. Name and designation of functionary of the organisation for communication																										
5. Address for communication																										
6. Other contact details : (a) Organisation telephone number with area code; (b) Personal mobile number; (c) FAX number with code; and (d) e Mail.																										
7. Brief description of origin, growth and the current activities of the organization within 300 words with emphasis on the programmes that the organization has continuously carried out for 5 years or more.																										
8. Present briefly the strengths of the organization to highlight the reasons why the organization should be considered for this National Level Achievement Award (words not to exceed 150 words).																										
9. List not more than 10 projects in the field of alcohol and drug use that the organization undertook in the past 10 years with financial support from other agencies.																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Years in which the project was executed</th> <th>Funding agency</th> <th>Main objectives of the project</th> <th>Target group</th> <th>Was the project assessed by any external agency? State yes or no. If yes, list the name of the of the agency</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Years in which the project was executed	Funding agency	Main objectives of the project	Target group	Was the project assessed by any external agency? State yes or no. If yes, list the name of the of the agency																					
Years in which the project was executed	Funding agency	Main objectives of the project	Target group	Was the project assessed by any external agency? State yes or no. If yes, list the name of the of the agency																						
10. Has the organization been felicitated by any other agency in the past? If so, provide details related to the agency or organization which conferred the award or recognition, year and the programme or activities or achievement for which the award was given.																										

11. Please enclose the following :

- (a) Annual reports for the last five years ;
- (b) Balance sheet for the last three years ;
- (c) Any other reports or documents which highlight the achievements of the organization: please list:

In case, an individual is recommending Institutions or Organization, the above documents need not be enclosed. However, the documents, if readily available, may be enclosed.

12. Details of the person nominating the individual for the 'Outstanding Individual Achievement Award' - name, designation, Organization and contact details and office seal

Signature:

Name:

Designation:

Organization:

Contact details:

Place:

Date:

### Annexure-III

#### CALENDER OF ACTIVITIES TO BE FOLLOWED

S.No	Activities	Date and Month
1	Issue of letter inviting Nominations by the Ministry	1 <sup>st</sup> July
2	Last date of receipt of nominations	15 <sup>th</sup> October
3	Shortlisting of Nominations by Screening Committee	15 <sup>th</sup> November
4	Final selection by the Jury	15 <sup>th</sup> January
5	Approval by the Minister	15 <sup>th</sup> February
6	Clearance by M/o Home Affairs and State Government	15 <sup>th</sup> April
7	Announcement of Awards	31 <sup>st</sup> May
8	Presentation of Awards	26 <sup>th</sup> June